तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 10106 / 2004 / भरतपुर** **सुखराम बनाम कृष्णा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-3-2020	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **<u>उपस्थितिः–</u>** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री राकेश अरोडा, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 84, के अन्तर्गत न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर कैम्प भरतपुर द्वारा अपील संख्या 37/2000 शीर्षक "सुखराम बनाम कृष्णा देवी" में पारित निर्णय दिनांक 12–11–2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वर्तमान निगरानी के गैर निगराकार कृष्णादेवी पत्नि सुजान सिंह एवं विनोद कुमारी पत्नी धर्मसिंह द्वारा वर्तमान निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या–3 के विरुद्ध अति0 कलक्टर, भरतपुर के समक्ष अपील संख्या 180/1997 इस आशय के साथ प्रस्तुत की कि गॉव गोपालपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1192 रकबा 01 एअर, 1193 रकबा 01 एअर को उनके द्वारा खातेदार शेरसिंह से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24–7–1991 से क्रय किया है और नामांतरकरण संख्या 122 क्रेता के पक्ष में स्वीकृत किया गया है तथा जमाबंदी में उन्हें खातेदार दर्ज किया गया है। रैस्पो0 संख्या 1 सुखराम ने रैस्पो0 संख्या 3 शेरसिंह के विरुद्ध वाद संख्या 26/93 सिविल न्यायालय भरतपुर में प्रस्तुत किया जिसमें कृष्णादेवी व विनोद कुमारी को पक्षकार नहीं बनाया गया और यह वाद शेरसिंह के विरुद्ध डिक्री किया गया। दावे से पूर्व ही शेर सिंह अपने खातेदारी अधिकारों को मुॅतकिल कर चुका था, अतः यह डिक्री कृष्णादेवी व विनोद कुमारी के विरुद्ध वौइड है। नायब तहसीलदार, भरतपुर द्वारा गलत प्रकार से नामांतरकरण संख्या 243 दिनांक 20–1–1997 स्वीकृत किया गया है। स्वयं रैस्पो0 ने सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष घोषणा का वाद दिनांक 10.4.1996 को किया था। दावे के विचाराधीन रहते दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः नामांतरकरण संख्या 243 दिनांक 20–1–1997 को मन्सूख किया जाए। अति0 कलक्टर, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 16–6–2000 से अपील स्वीकार कर ना0तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–1–1997 को निरस्त करते हुए प्रकरण को उभय पक्ष को सुनते हुये निर्णित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 10106 / 2004 / भरतपुर** **सुखराम बनाम कृष्णा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने के निर्देशों के साथ नायब तहसीलदार, भरतपुर को प्रति प्रेषित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध वर्तमान निगराकार द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर कैम्प भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–11–2003 से अपील को अस्वीकार किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस निगरानी के पर सुनी गई। योग्य अधिवक्ता निगराकार ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार शेरसिंह पुत्र गोकुल से प्रार्थी ने दिनांक 4–5–1989 को जरिये इकरारनामा आराजी को क्रय किया था और राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायाधीश के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। इस वाद को सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.03.1994 से डिक्री किया गया और प्रार्थी के पक्ष में बयनामा कराया गया। जिसके आधार पर इजराय जारी की गई और इजराय के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। गैर निगराकार के पक्ष में दिनांक 24–7–1991 को गलत प्रकार से पंजीबद्ध विक्रय पत्र तहरीर किया गया है। विक्रय पत्र बाद का है जब कि हमारे पक्ष में किया गया इकरारनाम पहले का है, अतः बाद के विक्रय पत्र के आधार पर गैर निगराकार के पक्ष में नामांतरकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। गैर निगराकार द्वारा अति0 कलक्टर, भरतपुर के समक्ष जो अपील हमारे पक्ष में स्वीकृत किए गए नामांतरकरण संख्या 243 के विरुद्ध प्रस्तुत की थी, उस अपील को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने में अति0 कलक्टर ने त्रुटि की है। गैर निगराकार के पक्ष में अविधिक रुप से बाद में विक्रय पत्र किया गया था, अतः उसे प्रकरण में पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था। अति0 सम्भागीय आयुक्त ने इस निर्णय की पुष्टि करने में विधिक भूल की है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाए। गैर निगराकार के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि हमारे पक्ष में खातेदार शेरसिंह द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24–7–1991 से विक्रय किया है और नामांतरकरण संख्या 122 क्रेता–गैर निगराकार के पक्ष में स्वीकृत किया गया है तथा जमाबंदी में उन्हें खातेदार दर्ज किया गया है। रैस्पो0 संख्या 1 सुखराम ने रैस्पो0 संख्या 3 शेरसिंह के विरुद्ध वाद संख्या 26/93 सिविल न्यायालय भरतपुर में प्रस्तुत किया था किन्तु इसमें कृष्णादेवी/गैर निगराकार व विनोद कुमारी को पक्षकार नहीं बनाया गया था। नामांतरकरण संख्या 243 को स्वीकृत करते समय हमें	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 10106 / 2004 / भरतपुर** **सुखराम बनाम कृष्णा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुना नहीं गया है। इस निर्णय में भी माननीय सिविल न्यायालय ने अपीलार्थी/निगराकार का किसी प्रकार का कब्जा होना नहीं माना है। पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अति0 कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 243 को निरस्त कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दे कर प्रकरण को तय करने हेतु, सही प्रकार से नायब तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय की अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी विधिवत पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं और निगरानी के सीमिति क्षेत्राधिकार के तहत अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सही नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जाए। उाभय पक्षीय अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रकरण में परीक्षण पर यह निर्विवाद है कि गॉव गोपालपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1192 रकबा 01 एअर, 1193 रकबा 01 एअर को कृष्णादेवी पत्नि सुजान सिंह एवं विनोद कुमारी धर्मपत्नी धर्मसिंह के पक्ष में खातेदार शेरसिंह पुत्र गोकुल द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24-7-1991 को किया है और इसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 122 क्रेता कृष्णादेवी पत्नि सुजान सिंह एवं विनोद कुमारी धर्मपत्नी धर्मसिंह के पक्ष में स्वीकृत किया गया है तथा जमाबंदी सम्वत् 2051-54 में क्रेता खातेदार के रुप में इनका नाम दर्ज है। प्रश्नगत आराजी को जरिए इकरारनामा दिनांक 4-5-1989 से क्रय करना बताते हुये, सिविल न्यायालय में वादी सुखराम द्वारा दिनांक 26.9.1992 को जो वाद संख्या 26/93 शेरसिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया उसमें कृष्णादेवी एवं विनोद कुमारी धर्मपत्नी धर्मसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जब कि इससे पूर्व ही दिनांक 19.1.1992 को कृष्णादेवी एवं विनोद कुमारी के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 122 स्वीकृत किया जा चुका था। जमाबंदी में इनके नाम के अंकन भी आ चुके थे। अतः यह आवश्यक था कि इन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया जाता। चूॅकि इन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः यह निर्णय इन पर बाध्यकारी नहीं रहता है। नायब तहसीलदार, भरतपुर द्वारा नामांतरकरण संख्या 243 दिनांक 20-1-1997 को स्वीकृत किया गया है, जब कि कृष्णादेवी एवं विनोद कुमारी के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 122 स्वीकृत होने व जमाबंदी में इनके नाम के अंकन होने से, नायब तहसीलदार के स्तर पर अपेक्षित था कि वे नामांतरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही से पूर्व इन्हें विधिवत अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते, नैसर्गिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में भी यह आवश्यक था। अतः इस प्रकार की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 10106 / 2004 / भरतपुर** **सुखराम बनाम कृष्णा देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थिति में अति0 कलक्टर, भरतपुर द्वारा नामांतरकरण संख्या 243 पर पारित आदेश दिनांक 20–1–1997 को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण को नायब तहसीलदार, भरतपुर को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधिक रुप से द्वितीय अपील में इस निर्णय को पुष्ट किया है। निगरानी के सीमित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	